पंजीकृत/ई–मेल

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–699इन्फ/2023–19इन्फ/2022 लखनऊ :दिनांक : 02 जून 2023

1– **समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),**
उत्तर प्रदेश।

3– **समस्त यात्री/मालकर अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

विषयः–दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2021 तक लम्बित चालानों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश दण्डविधि (अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधो का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 की उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्– "(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 या एवं उपधारा(2) में शब्द और अंक"1 जनवरी,1977" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" रख दिये जायेगें, प्राख्यापित किया गया। दिनांक 01.01.1977 से दिनांक 01.01.2013 तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कार्यवाहियो का उपशमन की अवधि को बढ़ाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा–9 की उपधारा–(2) में संशोधन किया किया।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.03.2023 में यह उपबन्ध किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधो का शमन और विचारणो का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) जिसमें गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधो का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 20016" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2021 रख दिये जायेगें" निर्गत किया गया। उपर्युक्त अध्यादेश अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत किए गये अपराधों के साथ–साथ मोटरयान अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत किये गये चालानों पर भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में दिनांक 31.12.2016 से 31.12.2021 की अवधि में किए गये चालान, जो न्यायालय में लम्बित है, को सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी द्वारा उपशमित किया जा रहा है।

आपसे अपेक्षा है कि मा0 न्यायालय से उपशमित वादों की सूची प्राप्त कर, उन्हें ई–चालान पोर्टल से डिलीट करने की कार्यवाही करायें।

संलग्नक–यथोक्त

(चन्द्र भूषण सिंह)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 संख्या–699(1)इन्फ/2023 समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का प्रभावी अनुश्रवण करें।

(वी0के0सोनकिया)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)
उत्तर प्रदेश।

क्रम-संख्या--702 (क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1,--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 21 दिसम्बर, 1979
अग्रहायण 30, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 3378/सत्रह-वि-1-37-78
लखनऊ, 21 दिसम्बर, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश दण्ड विविध (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दण्ड विचारण का उपशमन करने का उपबन्ध करने के उद्देश्य से, मोटर यान अधिनियम, 1939, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948, पुलिस अधिनियम, 1861 और सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 का (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) और उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 में नई धारा 131-ख का बढ़ाया जाना

2—मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"131—ख (1) इस अध्याय (धारा 116, 117, 118-क, 123 और 123-क को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हों तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 में नई धारा 22-गग का बढ़ाया जाना

3—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, धारा 22-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"22-गग—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो, शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर, द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 में नई धारा 106-क का बढ़ाया जाना

4—कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय 10 में, धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"106-क—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो और जो पहली बार किया गया हो शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा।

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा;

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का शमन

"34-क—धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का शमन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करन पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाये, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 3 सन् 1867 में नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6—सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्—

"14-क—इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा :

परन्तु इस धारा में निहित किसी बात से ऐसे अपराधी द्वारा, जिसे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कभी सिद्ध दोष किया गया हो, किये गये किसी अनुवर्ती अपराध का शमन करने का प्राधिकार नहीं होगा।"

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 564 का संशोधन

7—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 564 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

"(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ-दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन:—

(i) अभियोजन निर्देशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन निर्देशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 36 का संशोधन

8—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 36 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए अपराध के लिए नियत अर्थ दंड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी को दोषमुक्ति का होगा।"

कतिपय विचारण का उपशमन

9—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(1) (क) ऐसे अपराध के लिये जो :—

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पद्यम के संबंध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दंडनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिये, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर लम्बित हो, उप शमन हो जायेगा।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 3378 (2)/XVII-V-1-37-38

Dated Lucknow, December 21, 1979

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apradhon Ka Shaman Aur Vicharano Ka Upashaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 35 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 18, 1979.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 1979

(U. P. ACT NO. 35 OF 1979)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, the Minimum Wages Act, 1948, the Factories Act, 1948, the Police Act, 1861 and the Public Gambling Act, 1867 (in their application to Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, and the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 with a view to provide for the composition of certain offences and abatement of certain criminal trials.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 131-B in Act no. 4 of 1939.

2. *After* section 131-A of the Motor Vehicles Act, 1939, the following section shall be *inserted*, namely :—

"131-B. (1) Any offence punishable under this Chapter (excluding sections 116, 117, 118-A, 123 and 123-A) may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded either before or after the institution of the prosecution, by an officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence.

Compounding of offences.

(2) Where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 22-CC, in Act no. 11 of 1948.

3. In the Minimum Wages Act, 1948, *after* section 22-C, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of Offences.

"22-CC. An Officer specially empowered by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act with fine only committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 106-A in Act no. 63 of 1948.

4. In Chapter X of the Factories Act, 1948, *after* section 106, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"106-A. The Inspector may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf compound any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 34-A of Act no. 5 of 1861.

5. *For* section 34-A of the Police Act, 1861, the following section shall be *substituted*, namely :—

Compounding of offences under sections 32 and 34.

"34-A. An offence punishable under section 32 or section 34 may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, be compounded by the District Superintendent of Police, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and when the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Insertion of new section 14-A in Act no. 3 of 1867.

6. *After* section 14 of the Public Gambling Act, 1867, the following section shall be *inserted*, namely :—

Compounding of offences.

"14-A An officer specially empowered in this behalf by the State Government by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.

Provided that nothing contained in this section shall authorise the composition of any subsequent offence committed by an offender who has once been convicted for any offence punishable under this Act."

Amendment of section 564 of U. P. Act no. 2 of 1959.

7. In section 564 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *for* clause (*b*), the following shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) subject to any general or special orders of the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, or rules, bye-laws or regulations made thereunder, either before or after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded :—

(i) before the institution of the prosecution ; the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution the composition shall amount to acquittal of the offender."

Amendment of section 36 of U. P. Act no. 26 of 1962.

8. In section 36 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) The Chief Inspector may, subject to any general or special order the State Government in this behalf, compound any offence punishable under this Act, either before after the institution of the prosecution, on realisation of such amount of composition fee as he thinks fit not exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence ; and where the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution, the offender shall not be liable to prosecution for such offence and shall, if in custody, be set at liberty ;

(ii) after the institution of the prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender."

Abatement of certain trials.

9. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—

(1) the trial of an accused for—

(*a*) an offence punishable under—

(i) the Motor Vehicles Act, 1939 ; or

(ii) the Public Gambling Act, 1867, not being an offence punishable under section 3 of that Act or an offence in respect of wagering punishable under section 13 of that Act ; or

(iii) section 34 of the Police Act, 1861 ; or

(iv) section 160 of the Indian Penal Code, 1860 ; or

(*b*) any other offence punishable with fine only, or

(2) a proceeding under section 107 or section 109 of the Code of Criminal Procedure, 1973, pending before a Magistrate on the date of commencement of this Act from before January 1, 1977 shall abate.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 262 सा० (विधा०)—21-12-79—(3048)—1979—800 (मे०)

क्रम-संख्या–196

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1336/79-वि-1–16-1(क)17-2016
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में,–

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, उपखण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988; या";

(ख) उपधारा (2) में, शब्द और अंक "1 जनवरी, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, सन् 1979) को, कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिये कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि दिनांक 1 जनवरी, 1977 से दिनांक 1 जनवरी, 2013 तक किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि को बढ़ाने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 1336(2)/LXXIX-V-1--16-1(ka)17-2016
Dated Lucknow, September 19, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 16, 2016.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 29 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh criminal law (Composition of offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979,-

(a) in sub-section (1), in clause (a) for sub-clause (i) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :-

" (i) the Motor Vehicles Act, 1988; or";

(b) in sub-section (2), for the word and figures "January 1, 1977" the word and figures "January 1, 2013" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recomandation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain Proceedings pending before a Magistrate from January 1, 1977 to January 1, 2013.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 407 राजपत्र (हि0)–2016–(972)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 99 सा0 विधायी–2016–(973)–300 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/आफसेट)।

क्रम-संख्या--11

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी०/एल०--

डब्लू०/एन०पी०--91/2014--16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 2018

पौष 16, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग--1

संख्या 2729/79-वि-1--17-1(क) 31-17

लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में उपधारा (2) में शब्द और अंक "1 जनवरी, 2013" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2015" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन की व्यवस्था करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि 1 जनवरी, 2013 को 31 दिसम्बर, 2015 तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 2729(2)/LXXIX-V–1–17-1(ka) 31-17

Dated Lucknow, January 6, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon ka Shaman Aur Vicharanon ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 5, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ACT, 2017

(U.P. Act No. 9 of 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 in sub-section (2) *for* the word and figures "January 1, 2013" the word and figures "December 31, 2015" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments of provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain proceedings pending before a Magistrate from January 1, 2013 to December 31, 2015.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 791 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(2491)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 152 सा0 विधायी–2018–(2492)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।

क्रम-संख्या–263

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 दिसम्बर, 2019

पौष 6, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2240/79-वि-1–19-1(क)-18-19

लखनऊ, 27 दिसम्बर, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग-9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उप धारा (2) में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2015" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 2016" रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979), कतिपय अपराधों के शमन और कतिपय दण्ड विचारणों के उपशमन का उपबंध करने के लिए कतिपय केन्द्रीय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति पर यह विनिश्चय किया गया है कि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित कतिपय कार्यवाहियों के उपशमन की अवधि 31 दिसम्बर, 2015 को 31 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 2240(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)-18-19

Dated Lucknow, December 27, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Aparadhon Ka Shaman Aur Vicharanon Ka Upshaman) (Sansodhan) Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 26, 2019. The Griha (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRAILS) (AMENDMENT) ACT, 2019

(U.P. Act no. 21 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Criminal law (Composition of Offences and Abatement of Trails)(amendment) Act, 1979.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and extent

1. (1)This Act may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2) *for* the word and figures "December 31, 2015" the word and figures "December 31, 2016" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trails) (Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 35 of 1979) has been enacted to amend certain Central enactments to provide for the composition of certain offences and for abatement of certain criminal trials. On the recommendation of the High Court of Judicature at Allahabad it has been decided to amend sub-section (2) of section 9 of the said Act to extend the period for abatement of certain proceedings pending before a Magistrate from December 31, 2015 to December 31, 2016.

The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 492 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(1245)–599 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 107 सा0 विधायी–2019–(1246)–300 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–132

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

————————

संख्या 1559 / 79-वि-1–20-1(क)-30-20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

————————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 जिससे विधायी अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का

2–नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

निरसन

व्यावृत्ति

3—इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,—

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

अनुसूची

(धारा—2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	उत्तर प्रदेश किशोरबन्दी अधिनियम, 1938	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 1938)
2	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1952)
3	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1972)
4	उत्तर प्रदेश पशुक्रय कर अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन 1976)
5	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन 1976)
6	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1977	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1977)
7	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 1978)
8	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 1978)
9	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1979)
10	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन 1983)
11	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन)	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1983)

	अधिनियम, 1983	
12	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1984	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1984)
13	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1983	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1985)
14	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1985	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 1985)
15	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1986	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1986)
16	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1986)
17	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन 1987)
18	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 1987)
19	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1988)
20	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1988	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1988)
21	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 1989)
22	उत्तर प्रदेश चल–चित्र और कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 1989)
23	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन 1989)
24	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1989)
25	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1990	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1990)
26	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 1990)
27	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1991	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 1991)
28	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 1991)
29	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 1994)
30	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1994)
31	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन 1994)

32	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1995)
33	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1997	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1997)
34	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1998)
35	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन 1998)
36	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1998)
37	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1999)
38	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2000	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2000)
39	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 2002)
40	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2003)
41	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन 2003)
42	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 2006)
43	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 2007)
44	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 2007)
45	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन 2007)
46	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47 सन 2007)
47	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 2008)
48	उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2009)
49	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 2009)
50	उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 2009)

51	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2010)
52	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 2010)
53	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2011)
54	दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2011)
55	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 2011)
56	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन 2011)
57	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2013)
58	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2014)
59	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन 2014)
60	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधनियम, 2015	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2016)
61	उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 2016)
62	उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) अधिनियम, 2016	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 2016)

———

उद्देश्य और कारण

राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर अप्रचलित, अनुपयोगी एवं अनावश्यक हो चुके अधिनियमों का प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1559(2)/LXXIX-V-1–20-1(ka)-30-20
Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 31 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Vidhai Anubhag-1, is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2020

(U.P. ACT NO. 31 OF 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to repeal certain enactments.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy first Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2020.

Repeal of certain enactments

2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

Savings

3. The repeal by this Act of any enactment shall not,-

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of any thing already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

SCHEDULE

(*See section* 2)
Acts being repealed

1	The Uttar Pradesh Borstal Act, 1938 (U.P. Act. no.7 of 1938)
2	The Uttar Pradesh Children Act, 1951 (U.P. Act. no. 1 of 1952)

3	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1972. (U.P. Act. no. 1 of 1972)
4	The Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976 (U.P. Act. no 36 of 1976)
5	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment and Validation) Act, 1976. (U.P. Act. no. 40 of 1976)
6	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1977. (U.P. Act. no. 17 of 1977)
7	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1978. (U.P. Act. no. 26 of 1978)
8	The Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1978. (U.P. Act. no. 27 of 1978)
9	The Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Second Amendment) Act, 1978 (U.P. Act. no. 3 of 1979)
10	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1983. (U.P. Act. no. 5 of 1983)
11	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1983. (U.P. Act. no. 19 of 1983)
12	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1984. (U.P. Act. no. 17 of 1984)
13	The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 1983. (U.P. Act. no. 1 of 1985)
14	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1985. (U.P. Act. no. 8 of 1985)
15	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1986. (U.P. Act. no. 2 of 1986)
16	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1986. (U.P. Act. no. 17 of 1986)
17	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1987. (U.P. Act. no. 5 of 1987)
18	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1987. (U.P. Act. no. 8 of 1987)
19	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 1987. (U.P. Act. no. 3 of 1988)
20	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1988. (U.P. Act. no. 13 of 1988)
21	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1989. (U.P. Act. no. 4 of 1989)
22	The Uttar Pradesh Cinemas and Taxation Laws (Amendment) Act, 1989. (U.P. Act. no. 12 of 1989)
23	The Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Amendment) Act, 1989. (U.P. Act. no. 16 of 1989)
24	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1989. (U.P. Act. no. 19 of 1989)
25	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1990. (U.P. Act. no. 2 of 1990)
26	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1990. (U.P. Act. no. 12 of 1990)
27	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1991. (U.P. Act. no. 14 of 1991)
28	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1991. (U.P. Act. no. 23 of 1991)
29	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1994. (U.P. Act. no. 7 of 1994)
30	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1994. (U.P. Act. no. 17 of 1994)
31	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 1994. (U.P. Act. no. 25 of 1994)

32	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1995. (U.P. Act. no. 17 of 1995)
33	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1997. (U.P. Act. no. 1 of 1997)
34	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1998. (U.P. Act. no. 2 of 1998)
35	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1998. (U.P. Act. no. 18 of 1998)
36	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 1998. (U.P. Act. no. 19 of 1998)
37	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1999. (U.P. Act. no. 6 of 1999)
38	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2000. (U.P. Act. no. 14 of 2000)
39	Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2002. (U.P. Act. no. 12 of 2002)
40	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2003 . (U.P. Act. no. 8 of 2003)
41	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2003(U.P. Act. no.10 of 2003)
42	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2006. (U.P. Act. no. 30 of 2006)
43	The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007. (U.P. Act. no11 of 2007)
44	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2007. (U.P. Act. no. 29 of 2007)
45	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2007. (U.P. Act. no. 46 of 2007)
46	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Third Amendment) Act, 2007. (U.P. Act. no. 47 of 2007)
47	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008. (U.P. Act. no. 3 of 2008)
48	The Uttar Pradesh Dr. Bhimrao Amedkar Samajik Parivartan Sthal (Repeal) Act, 2009. (U.P. Act. no. 9 of 2009)
49	Dr. Shakuntla Mishra Rehabilitation University (For Differently Abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2009. (U.P. Act. no 17 of 2009)
50	The Uttar Pradesh Advertisement Tax (Amendment) Act, 2009. (U.P. Act. no 23 of 2009)
51	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2010. (U.P. Act. no. 1 of 2010)
52	The Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad (Amendment) Act, 2010. (U.P. Act. no. 7 of 2010)
53	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011. (U.P. Act. no. 9 of 2011)
54	The Code of Criminal Procedure (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2011. (U.P. Act. no.15 of 2011)
55	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Second Amendment) Act, 2011. (U.P. Act. no. 21 of 2011)
56	Dr. Shakuntala Mishra Rehabilitation University (For differently abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2011. (U.P. Act. no 24 of 2011)
57	The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013. (U.P. Act. no. 13 of 2013)
58	The Uttar Pradesh Sahkari Gram Vikas Banks (Amendment) Act, 2014. (U.P. Act. no. 13 of 2014)
59	Dr. Shakuntala Mishra Rehabilitation University (For differently abled) Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2014. (U.P. Act. no 18 of 2014)
60	The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 2015. (U.P. Act. no. 13 of 2016)
61	The Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2016. (U.P Act. no 29 of 2016)

62	The Uttar Pradesh Apartment (Promotion of Construction, ownership and Maintenance) (Amendment) Act, 2016. (U.P. Act. no. 30 of 2016)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

On the recommendation of the State Law Commission it has been decided to repeal such Acts which have become obsolete, useless and redundant, by introducing a Bill in the second Session of the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh Repealing Bill, 2020 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 185 राजपत्र–2020–(552)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 143 सा0 विधायी–2020–(553)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

क्रम-संख्या–50

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 22 मार्च, 2023

चैत्र 1, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 22 / 79-वि-1–2023-2-क-2-2023

लखनऊ, 22 मार्च, 2023

———————

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023) जिससे गृह (पुलिस) अनुभाग–9 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2023)

[भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं :–

1–यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2016'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2021'' रख दये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 22(2)/LXXIX-V-1–2023-2-ka-2-2023

Dated Lucknow, March 22, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dand Vidhi (Apraadhon Ka Shaman Aur Vichaaranon Ka Upshaman) (Sanshodhan) Adhyadesh, 2023 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 2 of 2023) promulgated by the Governor. The Grih (Police) Anubhag-9 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH CRIMINAL LAW (COMPOSITION OF OFFENCES AND ABATEMENT OF TRIALS) (AMENDMENT) ORDINANCE, 2023

(U.P. ORDINANCE NO. 2 OF 2023)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy fourth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Ordinance, 2023.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 35 of 1979

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences and Abatement of Trials) (Amendment) Act, 1979, in sub-section (2), *for* the word and figures "December 31, 2016" the word and figures "December 31, 2021" shall be *substituted*.

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

———

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1266 राजपत्र–2023–(2120)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 123 सा0 विधायी–2023–(2121)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

1266 RPH 2023 (Adhyadesh (Criminal Law) data 4e